



# पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 06.04.2021

1-थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग का सफल अनावरण करते हुये हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर व घटना मे प्रयुक्त आला कल्ल अंगौछा बरामद।

दिनांक 06.4.2021 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या का सफल अनावरण करते हुये हत्यारे अभियुक्त बंटी उर्फ सतेन्द्र पुत्र रोहताश नागर निवासी ग्राम जुनेदपुर थाना दनकौर को जुनेदपुर जाने वाले हतैवा मोड़ से मय अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर अभियुक्त ने घटना को स्वीकार करते हुये बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर मृतक ओमवीर को फोन से बुलाया था और जुनेदपुर के जंगल मे तीनों ने शराब पी थी, शराब पीते समय कहा सुनी होने पर बंटी उर्फ सतेन्द्र ने अपने साथी के साथ मिलकर मृतक का अंगौछे से गला घोट दिया और सर के बल सडक पर पटका जब मृत्यु हो गयी तब शव को छिपाने के उद्देश्य से जंगल मे डाल दिया व मृतक की मो0सा0 की पहचान छिपाने की नियत से दोनो नम्बर प्लेट तोड कर ग्राम हतेवा के जंगल मे खडी कर दी थी। अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकल्ल अंगौछा बरामद किया गया है।

### **अभियुक्त का विवरण:**

बंटी उर्फ सतेन्द्र पुत्र रोहताश नागर निवासी ग्राम जुनेदपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:**

- 1.मु0अ0सं0 93/21 धारा 302/201 भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 102/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण:**

- 1.एक तमंचा मय कारतूस 315 बोर 02 जिंदा कारतूस
- 2.घटना मे प्रयुक्त आला कल्ल अंगौछा



2- थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल सैचिंग करने वाले 03 लूटेरे अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से 01 चोरी की मो0सा0, 09 मोबाइल फोन,01 अवैध चाकू,01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व तीन हजार रूपये नगद बरामद।

दिनांक 05.04.2021 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा मो0सा0 सवार तीन अभियुक्तों 1. राकेश पुत्र अशोक निवासी ए ब्लॉक प्रतापबाग ओमनगर संगमपार्क दिल्ली 2.मो0 आसिम पुत्र मो0 साजिद नि0 म0न0 448 राणा प्रताप बाग संगम पार्क दिल्ली 3.मो0 इशान उर्फ मो0 राशिद उर्फ बाबे पुत्र मो0 इरफान नि0 एन-76/357 बी ब्लॉक प्रताप नगर ओमनगर धोबी घाट संगम पार्क दिल्ली को सन्दीप पेपर मिल के सामने टकसाल रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 मो0सा ,09 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनियों, 01 चाकू व 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व तीन हजार रूपये नगद बरामद किये गये है ।

### **अभियुक्तों का विवरण:**

1. राकेश पुत्र अशोक निवासी ए ब्लॉक प्रतापबाग ओमनगर संगम पार्क दिल्ली
- 2.मो0 आसिम पुत्र मो0 साजिद नि0 म0न0 448 राणा प्रताप बाग संगम पार्क दिल्ली
- 3.मो0 इशान उर्फ मो0 राशिद उर्फ बाबे पुत्र मो0 इरफान नि0 एन-76/357 बी ब्लॉक प्रताप नगर ओमनगर धोबी घाट संगम पार्क दिल्ली

### **पंजीकृत अभियो /आपराधिक इतिहास का विवरण:**

1. मु0अ0सं0 133/2021 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 126/2021 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 246/2021 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

4. मु0अ0सं0 40/2021 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 108/2021 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 1107/2020 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 129/2021 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 806/2020 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0 927/2020 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0 253/2021 धारा 414/411 भादवि0 थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0 254/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर बनाम मो0 इशान उर्फ मो0 राशिद उर्फ बाबे
12. मु0अ0सं0 255/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम मो0 आसिम थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण:**

1. 01 मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस न0 डीएल 13 एस के 9206
2. 09 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनीयों के
3. 01 अवैध चाकू
4. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. तीन हजार रूपये नगद



### 3- थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा धोखाधडी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.04.2021 को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा मु0अ0स0 367/2015, धारा 420/ 467/ 468/471/323/504/506 भादवि थाना फेस 2, मु0अ0स0 398/2018 धारा 420/ 467/ 468/ 471/ 323/504/506,120बीभादवि, मु0अ0स0 230/2019 धारा 420/467/468/471/506भादवि, मु0अ0स0 242/2019 धारा 420/467/468/471/406 भादवि के अंतर्गत वांछित अभियुक्त संजय अधाना पुत्र सतवीर सिंह निवासी फत्तुपुरा थाना तिगांव जिला फरीदाबाद हरियाणा वर्तमान पता फ्लैट नम्बर इ-201 ईबिजा टावर थाना सूरजकुण्ड जिला फरीदाबाद हरियाणा को अभियुक्त के निवास से गिरफ्तार किया गया है।

#### अभियुक्त का विवरण:

संजय अधाना पुत्र सतवीर सिंह निवासी फत्तुपुरा थाना तिगांव जिला फरीदाबाद हरियाणा वर्तमान पता फ्लैट न0 इ-201 ईबिजा टावर थाना सूरजकुण्ड जिला फरीदाबाद हरियाणा

#### आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0स0 398/2018 धारा 420/467/468/471/323/504/506,120बी भादवि थाना एक्सप्रेस वे नोएडा
2. मु0अ0स0 230/2019 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना एक्सप्रेस वे नोएडा
- 3.मु0अ0स0 242/2019 धारा 420/467/468/471/406 भादवि थाना एक्सप्रेस वे नोएडा
4. मु0अ0स0 367/2015 धारा 420/467/468/471/323/504/506 भादवि थाना फेस 2 नोएडा



4- थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय 04 लूटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4 कंगन पीली धातु, एक चैन पीली धातु, 02 अंगूठी (रिंग) पीली धातु, 25,300 रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त होण्डा सिटी कार बरामद।

दिनांक 06-04-2021 थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय 04 लूटेरे/चोर 1. राहुल उर्फ अजय मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा निवासी ई-25 बी-28/226 इन्दिरा केम्प त्रिलोकपुरी 2. रमेश पुत्र रामू निवासी 28/158 त्रिलोकपुरी दिल्ली 3. प्रवीण पुत्र सूरज उर्फ मुकेश निवासी 28/145 त्रिलोकपुरी दिल्ली 4. अशोक उर्फ सन्टी पुत्र गुरूवचन निवासी 34/158 त्रिलोकपुरी दिल्ली को गोल्फ कोर्स सेक्टर 37 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 04 कंगन पीली धातु, एक चैन पीली धातु, 02 अंगूठी (रिंग) पीली धातु, 25,300 रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त होण्डा सिटी कार DL 4 CR 9981 बरामद हुए हैं।

अभियुक्तों द्वारा बताया कि हम इसी होण्डा सिटी कार में बतौर सवारी सवार होकर नोएडा एक्सप्रेस-वे व गौतमबुद्धनगर के आसपास के जनपदों में आने जाने वाली सवारियों को बैठाकर उनको अपने आपको क्राइम ब्रांच का बताकर सवारियों से रूपये गहने एटीएम कार्ड आदि लिफाफा में रखवाकर एक वैसा ही खाली लिफाफा देकर गाडी से उतार देते थे तथा एटीएम कार्ड से रूपये निकाल कर एटीएम कार्ड को फेंक देते थे।

### **अभियुक्तों का विवरण:**

1. राहुल उर्फ अजय मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा निवासी ई-25 बी-28/226 इन्दिरा केम्प त्रिलोकपुरी
2. रमेश पुत्र रामू निवासी मु0न0 28/158 त्रिलोकपुरी दिल्ली
3. प्रवीण पुत्र सूरज उर्फ मुकेश निवासी म0न0 28/145 त्रिलोकपुरी दिल्ली
4. अशोक उर्फ सन्टी पुत्र गुरूवचन निवासी 34/158 त्रिलोकपुरी दिल्ली

### **पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:**

#### **1. अभियुक्त रमेश पुत्र रामू**

- 1-मु0अ0स0 103/21 धारा 420/411 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा।
- 2- मु0अ0स0 56/2018 धारा 379/411 भादवि0 थाना हजरत निजामुद्दीन दिल्ली
- 3- मु0अ0स0 7771/16 धारा 379/411/34 भादवि0 थाना नई दिल्ली स्टेशन दिल्ली
- 4-मु0अ0स0 38/2005 धारा 170/379/34 भादवि0 थाना नई दिल्ली स्टेशन दिल्ली

## 2- राहुल उर्फ अजय मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा

- 1.मु0अ0स0 103/21 धारा 420/411 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 101/2021 धारा 406/411 भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर
- 3.मु0अ0सं0 368/15 धारा 394/34 भादवि थाना न्यू अशोकनगर दिल्ली
- 4 मु0अ0सं0 32/15 धारा 420/34 भादवि थाना ओखला दिल्ली
5. मु0अ0सं0 302/15 धारा 394/34 भादवि थाना गाजीपुर दिल्ली
- 6 मु0अ0सं0 277/15 धारा 392/34 भादवि थाना कल्यानपुरी दिल्ली
- 7.मु0अ0सं0 103/19 धारा 40ए दिल्ली एक्साइज एक्ट थाना मयूर विहार दिल्ली

## 3- प्रवीण पुत्र सूरज उर्फ मुकेश

- 1.मु0अ0स0 103/21 धारा 420/411 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा।
- 2.मु0अ0स0 101/2021 धारा 406/411 भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर
- 3.मु0अ0स0 215/19 धारा 379/411 भादवि0 थाना डिफेन्स कालोनी दिल्ली
4. मु0अ0स0 84/21 धारा 40 ए दिल्ली आवकारी अधि0 थाना मयूर विहार दिल्ली
5. मु0अ0स0 304/10 धारा 323/325/341/506 भादवि0 थाना मयूर विहार

## 4- अशोक उर्फ सन्ती पुत्र गुरूवचन

- 1.मु0अ0स0 103/21 धारा 420/411 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा

## **बरामदगी का विवरण:**

- 1- 04 कंगन पीली धातु
- 2- 01 चैन पीली(सोने)
- 3- 02 अंगूठी (रिंग) पीली धातु
- 4- 25300 रूपये
- 5-एक होण्डा सिटी कार DL 4 CR 9981



**5- थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा 01 चोर अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से 06 लोहे से निर्मित बौद्ध स्तूप की गुम्बद, 02 लोहे के स्टैण्ड व 01 ऑटो बरामद।**

दिनांक 06.04.2021 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 01 चोर अभियुक्त 1. रामबीर उर्फ साहू पुत्र लख्मी निवासी गाँव टुंडाखेडा थाना तिछारी बुलन्दशहर वर्तमान पता होशियारपुर गली न0 03 सेक्टर 51 थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर को बोटेनिकल तिराहा सेक्टर 37 के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 06 लोहे से निर्मित बौद्ध स्तूप की गुम्बद, 02 लोहे के स्टैण्ड व अन्य अवशेष, व 01 ऑटो यूपी 16 टी 1946 बरामद हुए है।

### **अभियुक्त का विवरण:**

रामबीर उर्फ साहू पुत्र लख्मी निवासी गाँव टुंडाखेडा थाना तिछारी बुलन्दशहर हालपता होशियारपुर गली न0 03 सैक्टर 51 थाना सैक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्ध नगर

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:**

मु0अ0स0 160/2021 धारा 379/411 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर

### **बरामदगी का विवरण:**

1. 06 लोहे से निर्मित बौद्ध स्तूप की गुम्बद,
2. 02 लोहे के स्टैण्ड
3. 01 ऑटो यूपी 16 टी 1946